न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 26/2021

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
द्वारकाप्रसाद दत्तक पुत्र श्री लाबूराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :—वादी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता
प्रतिवादी सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 843/8 रकबा 0.8009 हैक्टेयर किस्म चाही चतुर्थ आयी हुयी है। यह भूमि वादी की खरीदसुदा है। जिसकी सिचाई खसरा नम्बर 844 में स्थित बेरे से होती है। वादी ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 844 में बैचानकर्ता के हक व हिस्से व बंट सहित खरीद की हुई है। वादी की उक्त खरीदसुदा भूमि में कुए के बंट की भूमि का म्यूटेशन भरते समय सहवन से कुए के बंट की भूमि का म्यूटेशन नही भरा गया है। उक्त खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 843/8 की भूमि की सिचाई खसरा नम्बर 844 में खुदे बेरे से ही सिचित होती आ रही है। उक्त बेरे में वादी का हक व हिस्सा, बंट आया हुआ है परन्तु उक्त कुए की भूमि खसरा नम्बर 844 का म्यूटेशन भरते समय वादी के हक व हिस्से की भूमि जो अन्य खरीददारों ने खरीदी थी उनका म्यूटेशन भर दिया गया परन्तु वादी के हक व हिस्से का म्यूटेशन नही भरा गया। वाद कारण दिनांक 18.12.2020 को वादग्रस्त बेरे की जमाबन्दी की नकल लेने पर पहली बार वादी को पता चला कि उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 844 की भूमि में स्थित बेरे में वादी के हक हिस्से की भूमि व बंट की भूमि में वादी का नाम सहवन से छूट गया है जिससे वादी सरकारी सेवाओं से वंचित हो रहा है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम पिचियाक की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 844 बेरे की भूमि में वादी का उसके हक हिस्से व बंट अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री फरमावे एवं माफिक डिक्री अनुसार म्यूटेशन भरने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी [illegible] पैरोकार ने जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस [illegible] भूमि खसरा नम्बर 843/8 रकबा 0.8009 हैक्टेयर किस्म चाही [illegible] आई हुई है। [illegible] वादी द्वारा जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 03.02.19[illegible] के जरिये खरीद [illegible] हुई है। पंजीयन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज बैचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाते समय खसरा नम्बर 843/8 रकबा 0.8009 हैक्टेयर भूमि का नामानतरकरण दर्ज हो गया लेकिन बेरे खसरा नम्बर 844 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै.मु. बेरा के हिस्से में वादी का नाम दर्ज होने से शेष रह गया। विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 844 रकबा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा में हिस्सा क्रय किया गया है। पद संख्या 4 वादी स्वयं साबित करे। पद संख्या 5 व 6 कानूनी है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के खरीदसुदा खसरा नम्बर 844 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै.मु. बेरा की भूमि वादी का उसके हक हिस्से व बंट अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुर्करर की गयी। वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 ग्राम पिचियाक खसरा नम्बर 843/8, जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 ग्राम पिचियाक खसरा नम्बर 844, विक्रय पत्र खसरा नम्बर 843/8 व 844 दिनांक 03.02.1987 आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि ग्राम पिचियाक के खसरा नम्बर 843/8 व 844 की भूमि वादी द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 03.02.1987 से मुरलीधर पुत्र गोरधनराम से खरीद की गयी थी। लेकिन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा म्यूटेशन भरते समय वादी का नाम खसरा नम्बर 844 में दर्ज सयुक्त खातेदार मुरलीधर के स्थान पर दर्ज नही किया गया जो एक मानवीय भूल है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 844 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा की भूमि में मुरलीधर के स्थान पर सयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

वादी	बनाम	प्रतिवादी
द्वारकाप्रसाद दत्तक पुत्र श्री लाबूराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 26/2021

निर्णय दिनांक :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री लक्ष्मणराम राठौड़ अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 844 रकबा 0.0485 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा की भूमि में मुरलीधर के स्थान पर सयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाज[illegible]र द[illegible]ीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:12:08 IST
Reason: SelfAttested